

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/34/2018-19/257

भोपाल, दिनांक 11-9-2018

प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
विकास खण्ड साँची, सिलवानी (रायसेन), मुरार (ग्वालियर), रामपुर नैकिन (सीधी), (रायसेन),  
सौसर, पादुर्णा (छिंदवाड़ा), सागर, जबलपुर।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में।

---00---

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	01. श्री कमरसिंह चौकसे, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय उमावि, सलामतपुर, रायसेन।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड साँची। 2902003065	451306
2202 सामान्य शिक्षा	02. श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक वर्ग-2, शासकीय कन्या उमावि, पदमाराजे, ग्वालियर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड मुरार 1402003026	2886
02 माध्यमिक शिक्षा	03. श्री रमेश सिंह, सहायक शिक्षक विज्ञान, शासकीय बालक कन्या उमावि, रामपुर नैकिन, सीधी।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड रामपुर नैकिन 4102003028	250000
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	04. श्री पी.पी. गुप्ता, व्याख्याता, शासकीय उमावि, बम्होरी, रायसेन।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सिलवानी 2952003069	171704
0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें	05. श्री रत्नाकर डांगे, व्याख्याता, शासकीय उमावि, बानाबकोडा, छिंदवाड़ा।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सौसर 0752003003	133300
11 वेतन, भत्ते	06. श्री देवीदास महाजन, भूत्य, शासकीय उमावि, बडचिचोली, छिंदवाड़ा।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड पादुर्णा 0732003004	250000
8888 -	07. श्रीमती सीता दीक्षित, शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल, गोपालगंज, सागर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सागर 3302003004	10000+ 7500= 107500
V मतदेय	08. श्री सियाशरण कुशवाह, सहायक शिक्षक, विज्ञान, शासकीय कन्या उमावि, आधारतला, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड जबलपुर 1802003068	80000
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	09. श्रीमती गीता सिंह, शिक्षक, हाईस्कूल, रामपुर, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड जबलपुर 1802003068	33254
(अक्षरी राशि चौदह लाख उन्चासी हजार नौ सौ पचास मात्र)			14,79,950/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

- मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
- म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
- राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

✓



4. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
6. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।  
"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 11-9-2018

पृष्ठा क्रमांक/बजट(ए)/34/2018-19/258

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला - रायसेन, ग्वालियर, सीधी, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला - रायसेन, ग्वालियर, सीधी, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारिगण सरल क्रमांक 1 से 09 तक समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.